



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी०बी० टावर के पास) वाराणसी - 221002

पत्रांक- 1318 / अनुपालन आख्या / 60 दिनांक- 24.09.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
वाराणसी।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कुआर में नलकूप की बैटरी केबल चोरी, 10 माह से जलापूर्ति ठप।	आंशिक सही	उक्त खबर विकास खण्ड बडागँव के जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित कुआर पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि माह नवम्बर, 2025 में उक्त योजना की 24 बैटरियां एवं केबिल चोरी हो गयी थी, जिसे बीमा कम्पनी को सर्वेक्षण कराकर तथा सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त एक सप्ताह में जलापूर्ति बहाल कर दी गयी थी। माह नवम्बर, 2025 से माह अगस्त, 2026 तक जलापूर्ति की जा रही थी। 05 सितम्बर, 2026 को कुआर पेयजल योजना से सोलर पैनल की केबिल पुनः चोरी हो गई थी। नई केबिल लगाकर दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को जलापूर्ति बहाल की गई। पुनः तीसरी बार दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को चोरी द्वारा सोलर पैनल की केबिल चोरी कर जलापूर्ति बाधित कर दिया गया। उक्त घटना की सूचना सम्बन्धित थाने में दी गयी है तथा प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। बीमा कम्पनी का सर्वेक्षण कराकर 15 दिनों में जलापूर्ति बहाल कर दी जायेगी।	15 दिन

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०-

दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वा०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

अधिशाली अभियन्ता